न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : घनश्याम शर्मा , आर.ए.एस.
अपील संख्या : 7/2018
निर्णय दिनांक :03.01.2020

1. लोकेश कुमार शर्मा दत्तक पुत्र स्व॰ श्री हरलाल शर्मा जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम टीलावाला तहीसल सांगानेर जिला जयपुर।

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत पंवालिया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पंवालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. श्रीमती केसर देवी पत्नी स्व॰ श्री पन्नालाल जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम टीलावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

(फौत)

2/1. कानाराम उर्फ कन्हैयालाल } पुत्रान स्व श्री पन्नालाल
2/2. जगदीश
जातियान हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम टीलावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

3. श्रीमती नाथी देवी पत्नी स्व श्री हीरालाल शर्मा जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम टीलावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

...रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार तहीसल सांगानेर ग्राम हरगुंन की नांगल उर्फ चारणवाला पटवार हल्का पंवालिया नामान्तकरण संख्या 394 दिनांक 02.08.2017

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नामान्तकरण संख्या 394 पर दिनांक 18.05.2017 को पटवारी पंवालिया ने रिपोर्ट की श्रीमान जी प्रार्थी का नामान्तकरण पूर्व में ग्राम मानपुरा नामान्तकरण संख्या 292 दिनांक 06.03.2017 को मृतक की पत्नी नाथी देवी व माता केसर देवी के नाम तस्दीक हो चुका है। उक्त अनुसार नामान्तकरण भरकर वास्ते जांच व स्वीकृति पेश है। हस्ताक्षर पटवारी दिनांक 18.05.2017 जिस पर जमाबन्दी मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत सजरा खानदान के अंकन सही है। हीरालाल नाओलाद फौत हुआ है शादी शुद्धा है वारिसान में पत्नी नाथी देवी है माता को भी वारिस दर्शाया गया है। अतः नियमानुसार निर्णय करने की कृपा करे। हस्ताक्षर आई0एल0आर0 मुहाना दिनांक 27.05.2017 जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत पंवालिया ने दिनांक 02.08.2017 को नामान्तकरण स्वीकार किया। अधिनरस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय के नैसर्गिक निद्धान्तो के विपरित होने के कारण काबिले खारिज है। अपीलान्ट स्व हीरालाल का दत्तक पुत्र है। अपीलान्ट को बाल्यकाल में ही स्व हीरालाल व उसकी पत्नी नाथी देवी रेस्पोडेन्ट संख्या तीन ने सामाजिक रिति रिवाज से पुत्र ग्रहण किया था जिसका लालन पालन शिक्षा दिक्षा शादी इत्यादी स्व0 हीरालाल व उसकी पत्नी नाथी देवी रेस्पोडेन्ट संख्या तीन ने किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या तीन के पति की मृत्यु के बाद अपीलान्ट का गोद पुत्र के रूप में उप पंजियक सांगानेर प्रथम के यहां पर गोदनामा तस्दीक

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट के जायन्दा माता पिता की सहमति से समक्ष गवाहान के किया गया है। उक्त तथ्यों की जांच किये बिना ही अधिवक्ता न्यायालय ने अपना निर्णय पारित किया है जो चलने योग्य नही है काबिले खारिज है। अपीलान्ट के दादा स्व0 पन्नालाल की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तकरण अपीलान्ट के पिता स्व0 हीरालाल व कानाराम उर्फ कन्हैयालाल व जगदीश के नाम से नामान्तकरण तस्दीक किया गया था उस समय अपीलान्ट की दादी रेस्पोडेन्ट संख्या दो श्रीमती केसर देवी के नाम से नामान्तकरण तस्दीक नही किया गया था। उक्त तथ्यों की भी अधिनस्थ न्यायालय ने जांच न कर बहुत भारी भूल की है इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिले खरिज है। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु होने पर रेस्पोडेन्ट के साजिशवशं अपीलान्ट के पिता के नाम की आराजीयात में अपीलान्ट की दादी रेस्पोडेन्ट संख्या दो जिसकी उम्र करीब 100 वर्ष है का हिस्सा दर्ज करवा दिया साथ ही अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नही करवाया जबकि अपीलान्ट स्व0 हीरालाल का दत्तक पुत्र है। उक्त तथ्यों से अधिनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट ने अवगत करवा दिया था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर न कर अपने निर्णय में भूल की है। इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय चलने योग्य नही है, काबिले खारिज है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने उक्त भूमि का नामान्तकरण अपने नाम से खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के नाम से नामान्तकरण नही खोला तथा अधिनस्थ न्यायालय ने पहले अपीलान्ट के पिता स्व हीरालाल का वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या दो के नाम से नामान्तकरण संख्या 292 दिनांक 06.03.2017 के खोल दिया। तथा उसके बाद रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन को वारिस बताकर उनके नाम से नामान्तकरण संख्या 394 दिनांक 02.08.2017 को खोल दिया। तथा अपीलान्ट के नाम से नामान्तकरण नही खोला जबकि अपीलान्ट स्व हीरालाल व रेस्पोडेन्ट संख्या दो का दत्तक पुत्र है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 04.07.2018 को तब हुयी जब अपीलान्ट ने जमाबन्द व अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की नकल दिनांक 13.07.20198 को तहसीलदार कार्यालय से प्राप्त की इसके बाद अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर दिनांक 23.07.2019 उक्त अपील से सम्बन्धीत सभी तथ्य व कागजात अधिवक्ता को सुपर्द किये इस प्रकार जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। फिर भी विवाद निवारण हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम की प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत की जा रही है।

अतः अपील मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.08.2017 नामान्तकरण संख्या 394 ग्राम हरगुंन की नांगल उर्फ चारणवाला पटवार हल्का पंवालिया तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर को निरस्त फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 20.09.2018 को वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट एक की ओर से श्री लोकेश एडवोकेट एवं 2 की ओर से श्री सुरेन्द्र ढाका एडवाकेट तीन की ओर से श्री कोशलेन्द्र शर्मा एडवोकेट ने वकालतनाम एवं रेस्पोडेन्ट 3 के शपथ पत्र पेश किये जो शामिल मिसल है। दिनांक 20.06.2019 को वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकील अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जाप्ता दिवानी का पेश किया नकल वकील रेस्पोडेन्ट को दिलाई गयी जो शामिल मिसल है। वकील रेस्पोडेन्ट प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत न कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने पर अपनी सहमति दी। अतः वकील अपीलान्ट की ओर से पेश प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जाप्ता दीवानी स्वीकार की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 केसर देवी के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाता है वकील अपीलान्ट ने संशोधित उनवान पेश किया। दिनांक 25.07.2019 को वकुलाय फरिकेन उपस्थित, वकील अपीलान्ट ने संशोधित उनवान व रेस्पोडेन्ट के नोटिस तलवान

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

पेश किया। दिनांक 24.10.2019 को रेस्पोडेन्ट 2/2 की ओर से श्री सुरेन्द्र ढाका एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल है। दिनांक 29.11.2019 को वकुलाय फरिकेन उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड पत्रावली में शामिल नहीं है।

बहस वकुलाय सुनी गयी गयी। दौराने बहस में वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बताया कि नामान्तकरण संख्या 394 पटवारी हल्का की रिपोर्ट मुताबिक मृत्यु प्रमाण ग्राम पंचायत का राजरा फर्द मौका के नामान्तकरण दर्ज कर पेश है हस्ताक्षर पटवारी दिनांक 18.05.2017 जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक की रिर्पोट मिलान किया अंकन ठीक है हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक दिनांक 27.05.2017 जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत ने दिनांक 02.08.2017 को नामान्तकरण नाथी देवी पत्नी हीरालाल के नाम से नामान्तकरण संख्या 394 स्वीकार किया। सरपंच ने अपनी रिपोर्ट मे केसर देवी पत्नी पन्नालाल व नाथी देवी पत्नी हीरालाल के नाम से नामान्तकरण स्वीकार किया। जिससे व्यथित होकर प्रथम अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण काबिले खारिज है। अपीलान्ट स्व हीरालाल का दत्तक पुत्र है। अपीलान्ट को बाल्यकाल में ही स्व हीरालाल व उसकी पत्नी नाथी देवी रेस्पोडेन्ट संख्या तीन ने सामाजिक रिति रिवाज से पुत्र ग्रहण किया था जिसका लालन पालन शिक्षा दिक्षा शादी इत्यादी स्व0 हीरालाल व उसकी पत्नी नाथी देवी रेस्पोडेन्ट संख्या तीन ने किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या तीन के पति की मृत्यु के बाद अपीलान्ट का गोद पुत्र के रूप में उप पंजियक सांगानेर प्रथम के यहां पर गोदनामा तस्दीक अपीलान्ट के जायन्दा माता पिता की सहमति से समक्ष गवाहान के किया गया है। उक्त तथ्यों की जांच किये विना ही अधिवक्ता न्यायालय ने अपना निर्णय पारित किया है जो चलने योग्य नही है काबिले खारिज है। अपीलान्ट के दादा स्व0 पन्नालाल की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तकरण अपीलान्ट के पिता स्व0 हीरालाल व कानाराम उर्फ कन्हैयालाल व जगदीश के नाम से नामान्तकरण तस्दीक किया गया था उस समय अपीलान्ट की दादी रेस्पोडेन्ट संख्या दो श्रीमती केसर देवी के नाम से नामान्तकरण तस्दीक नही किया गया था। उक्त तथ्यों की भी अधिनस्थ न्यायालय ने जांच न कर बहुत भारी भूल की है इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय काविले खरिज है। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु होने पर रेस्पोडेन्ट के साजिशवशं अपीलान्ट के पिता के नाम की आराजीयात में अपीलान्ट की दादी रेस्पोडेन्ट संख्या दो जिसकी उम्र करीब 100 वर्ष है का हिस्सा दर्ज करवा दिया साथ ही अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नही करवाया जवकि अपीलान्ट स्व0 हीरालाल का दत्तक पुत्र है। उक्त तथ्यों से अधिनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट ने अवगत करवा दिया था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर न कर अपने निर्णय में भूल की है। इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय चलने योग्य नही है, काबिले खारिज है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने उक्त भूमि का नामान्तकरण अपने नाम से खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के नाम से नामान्तकरण नही खोला तथा अधिनस्थ न्यायालय ने पहले अपीलान्ट के पिता स्व हीरालाल का वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या दो के नाम से नामान्तकरण संख्या 292 दिनांक 06.03.2017 के खोल दिया। तथा उसके बाद रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन को वारिस बताकर उनके नाम से नामान्तकरण संख्या 394 दिनांक 02.08.2017 को खोल दिया। तथा अपीलान्ट के नाम से नामान्तकरण नही खोला जवकि अपीलान्ट स्व हीरालाल व रेस्पोडेन्ट संख्या दो का दत्तक पुत्र है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 04.07.2018 को तब हुयी जब अपीलान्ट ने जमावन्द व अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की नकल दिनांक 13.07.20198 को तहसीलदार कार्यालय से प्राप्त की इसके बाद अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर दिनांक 23.07.2019

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (दक्षिण)

Scanned by CamScanner

उक्त अपील से सम्बन्धीत सभी तथ्य व कागजात अधिवक्ता को सुपर्द किये इस प्रकार जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। फिर भी विवाद निवारण हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम की प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत की जा रही है।

अतः अपील मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.08.2017 नामान्तकरण संख्या 394 ग्राम हरगुंन की नांगल उर्फ चारणवाला पटवार हल्का पंवालिया तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर को निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2/2 ने जगदीश नारायण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र 06.12.2019 में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बताया कि उक्त अपील गोदनामे के आधार पर पेश की गयी है। उक्त गोदनामा प्रारम्भ से ही शून्य है व प्रार्थी ने न्यायालय सिविल जज क्रम 26 महानगर जयपुर में वाद पत्र संख्या 320/2019 मय अस्थायी निषेधाज्ञा 37/2019 उनवानी जगदीश नारायण बनाम नाथी देवी पेश किया है। जिसमें अतंरिम पर बहस हैं इस हेतु एक सप्ताह का समय चाहा गया है। परन्तु आज दिनांक तक कोई न्यायालय का आदेश पेश नही किया गया है।

रेस्पोडेन्ट तीन नाथी देवी ने दिनांक 20.07.2018 को शपथ पत्र पेश किया। शपथ-पत्र में अंकित किया है कि लोकेश कुमार शर्मा मेरा व स्व हीरालाल का दत्तक पुत्र है। लोकेश को बाल्यकाल में ही मैने व मेरे पति स्व हीरालाल ने सामाजिक रिति रिवाज से पुत्र ग्रहण किया था जिसका लालन पालन शिक्षा दिक्षा शादी इत्यादी मैंने व मेरे पति स्व हीरालाल ने किया है। मेरे पति स्व हीरालाल की मृत्यु के वाद लोकेश का गोद पुत्र के रूप में उप पंजियक सांगानेर प्रथम के यहां पर गोदनामा तस्दीक लोकेश के जायन्दा माता पिता की सहमति से समक्ष गवाहान के किया गया है। मैने अपने पति की मृत्यु होने के उपरान्त अपने पति की नाम की आराजीयात में स्वयं के व अपने दत्तक पुत्र के नामान्तकरण हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन किया परन्तु ग्राम पंचायत पंवालिया के सरपंच की राजनैतिक द्वेश्ता के कारण मेरे व स्व0 हीरालाल के दत्तक पुत्र लोकेश के नाम से नामान्तकरण नही खोला गया। जबकि लोकेश स्व हीरालाल का दत्तक पुत्र है। इस कारण लोकेश कुमार, स्व0 हीरालाल का वारीस है तथा उसके नाम से नामान्तकरण खोला जावें।

हमने बहस वकुलाय पर मनन किया व पत्रावली में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया जाने पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय 02.08.2017 नामान्तकरण 394 निरस्त किया जाता है।

तह्सीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि पुनः उभयपक्षकार की सुनवाई की जाकर नियमानुसार कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धनश्याम शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ghanshyam Sharma
Date: 2020.02.06 11:41:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: